# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1535/2011/उदयपुर
2. अपील संख्या 1536/2011/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वाबेल ब्रदर्स, उदयपुर। ..........प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

**उपस्थित :**

श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक। ......अपीलार्थी राजस्व की ओर से
व्यवहारी प्रत्यर्थी अनुपस्थित

**निर्णय दिनांक :** 27.07.2017

## निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.04.2010 के जरिये मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को Construction of 33KVS/S building with boundry wall at Lotiyana Distt. Chittorgarh एवं Constuction of RCC foundation at 132 KVS/S Capasan की कार्य संविदा अधिशाषी अभियन्ता (सिविल–O&M) से प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी को करमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु विधिवत्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन किया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने कुल कार्य संविदा मूल्य पर 3 प्रतिशत करमुक्ति शुल्क का प्रमाण पत्र दिनांक 15.04.2010 को क्रमशः ई.सी. संख्या 26/2840 एवं 27/2840 जारी किये गये।

प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह मानना था कि चूंकि प्रकरण भवन निर्माण से संबंधित है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये उक्त दोनों करमुक्ति प्रमाण पत्रों हेतु पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित 3 प्रतिशत कर करमुक्ति शुल्क की बजाय 1.5 प्रतिशत करमुक्ति शुल्क को ही विधिक ठहराते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष ये अपीलें प्रस्तुत की है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं परन्तु राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए जिनकी बहस सुनी गई।

लगातार...........2

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कार्य की प्रकृति एवं राज्य सरकार की अधिसूचना के दृष्टिगत 3 प्रतिशत करमुक्ति शुल्क अवधारित करते हुए जो करमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये है वे उचित ओर विधिनुकूल है विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रदत्त कार्य संविदा की प्रकृति को सही तौर पर अवधारित न कर अविधिक आदेश पारित किया है जिसको निरस्त करने एवं विभाग की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी को अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0, उदयपुर से दिनांक 01.04.2010 को Construction of 33KVS/S building with boundry wall at Lotiyana Distt. Chittorgarh एवं Constuction of RCC foundation at 132 KVS/S Capasan के संबंध में ठेका अवार्ड किया गया। जिसकी कुल कीमत क्रमशः 5,95,654/– व 1,80,622/– रूपये थी। जिस पर करमुक्ति चाहने के क्रम में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी को करमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु विधिवत्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन किया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने कुल कार्य संविदा कीमत पर 3 प्रतिशत करमुक्ति शुल्क का प्रमाण पत्र दिनांक 15.04.2010 को क्रमशः ई.सी. संख्या 26/2840 एवं 27/2840 जारी किये गये। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी **अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स /2005–80 दिनांक 11.08.2006** की तत्समय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

| Item No. | Description of work contract | Rate of exemption fee% of the total value of the contract |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Works contracts relating to dyeing, processing ans similar activites. | 0.25% |
| 2. | Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams canals, sewerage system. | 1.50% |
| 3. | Works contracts relating to installation of plants and machinery including pspo. Water treatment plant. Laying of pipe line with material | 2.25% |
| 4. | Any other kind of works contract not covered by [item Nos. 1, 2 and 3] | 3.00% |

6. प्रत्यर्थी को अवार्ड किये गये कार्य संविदा की प्रकृति उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 1, 3, 4 में उल्लेखित कार्य संविदाओं से भिन्न है। वस्तुतः उक्त कार्य की प्रकृति नींव की खुदाई एवं निर्माण तथा 33 KVS/S Building मय दीवार के निर्माण का कार्य है जिस पर उक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Works contracts relating to buildings की श्रेणी में आने से विहित करमुक्ति दर 1.5 प्रतिशत विधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी करमुक्ति प्रमाण पत्र को जो कि 3 प्रतिशत करमुक्ति शुल्क हेतु जारी किया गया था को परिवर्तित (Modify) कर 3 प्रतिशत की बजाय 1.5 प्रतिशत किये जाने के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

23.7.2012
(मदन लाल)
सदस्य